विहार विधान-सभा वादवृत्त।

बुधवार, तिथि २३ मार्च, १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि २३ मार्च १९६० को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीपनारायण सिंह—महाशय, मैं गत षष्ठ सत्र (सितम्बर-अक्टूबर, १९५९) के

---

९५५ अनागत प्रश्नों में से १२१ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूं। शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

ये हैं गत षष्ठ सत्र (सितम्बर-अक्तूबर, १९५९) के १२१ तारांकित प्रश्नों के उत्तर जो समयाभाव के कारण सदन में नहीं दिये जा सके। शेष प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

एनायतुर रहमान,
सचिव,
विहार विधान-सभा।

सूची।

क्रम सं०।	सदस्य का नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री इन्द्र नारायण सिंह	५५
२	श्री प्रभुनारायण राय	६६, १२६, २८७
३	श्री सुखु मुर्मू	७२
४	श्री डुमरलाल बैठा	१२२
५	श्री जयनारायण झा 'विनीत'	१२३
६	श्री राजाराम आर्य	१२५
७	श्री राम जयपाल सिंह	१२८, ४२१, ११३२, ११९२
८	श्री सुखदेव मांझी	१५२
९	श्री ब्रजनन्दन शर्मा	१६३, ३३८, ८९६
१०	श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह	१६९, २८८
११	श्री महावीर राउत	१८८, २७३
१२	श्री अब्दुल गफूर	२४०

(२) परसियां ग्राम में खरीफ सिंचाई के लिये कई वर्षों से कोई सट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। अतः सिंचाई के अभाव से वहां हर साल सूखा का असर पड़ता है या नहीं यह कहना संभव नहीं है।

(३) परसियां ग्राम का कोई सट्टा नहीं रहने के कारण वहां पानी नहीं देने का प्रश्न नहीं उठता। भविष्य में इस ग्राम की सिंचाई के लिये सट्टा प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जायगा।

पचाने नहर के लिए ली गई जमीन का मुआवजा।

११८०। श्री देवनन्दन प्रसाद—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत गौरियक थाना के हसुआ, दुर्गापुर तथा कुछ अन्य गांव के किसानों की जमीन पचाने नहर के लिये सरकार द्वारा १९५८-५९ में ली गई है परन्तु किसानों को अभी तक न जमीन का दाम मिला है और न उन्हें मालगुजारी देने से ही बरी किया गया है;

(२) यदि उपरोक्त खंड की उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त गांव के किसानों को शीघ्र मुआवजा देकर मालगुजारी से बरी करेगी?

श्री दीपनारायण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) भूमि अर्जन विभाग के अन्तर्गत सारी कार्रवाई समाप्त कर चुकने के बाद किसानों को जमीन का दाम दे दिया जायगा। जमीन की नापी की जा चुकी है और शीघ्र मुआवजा देने का शेष कार्रवाई की जा रही है।

राजस्व विभाग द्वारा सभी संबंधित अधिकारियो को यह आदेश दिया जा चुका है कि अर्जित भूमि का लगान नहीं लिया जाए।

महुआरी ग्राम के निकट पुल की मरम्मत।

११८१। श्री राम अशीश सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सोन नहर के करगहर लाइन में ८वीं मील में महुआरी ग्राम के समीप एक पुल था जिससे यात्री एवं सवारियां नहर पार करती थीं;

(२) क्या यह बात सही है कि वह पुल एक साल से टूटा हुआ है जिससे आवागमन में बड़ी कठिनाई हो रही है;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपरोक्त पुल की मरम्मत अति शीघ्र करा देने का विचार करती है यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?